भारत सरकार
प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.

सं. विज्ञापन/ दिनांक:.....

सेवा में,

.....
.....
.....
.....

विषय:- सरकारी प्रकाशनों की बिक्री के लिए प्रतिबन्धित एजेन्सी (परिवीक्षा एजेन्टों के लिए) निबन्धन। परख काल के दौरान शर्ते।

महोदय,

आपके दिनांक.....के आवेदन पत्र सं.....के संदर्भ में प्रतिबंधित एजेन्ट निम्नलिखित निबन्धन तथा शर्तों पर परिवीक्षा पर नियुक्त किए जाते है:-

i) कि आप प्रत्येक वर्ष कम से कम 6000/-रु. की कीमत के सरकारी प्रकाशन तथा पत्रिकाओं की बिक्री करेंगे बशर्ते कि इस संबंध में आपके आवेदन पत्र की प्राप्ति पर सरकार अपने विवेकानुसार इस शर्त में छूट दे|

ii) कि आप अनुबंध एवं शर्त का विधिवत अनुपालन करने पर सभी सरकारी प्रकाशनों तथा पत्रिकाओं की बिक्री करने पर इस विभाग से 20 प्रतिशत कमीशन प्राप्त करेंगे तथापि आपके द्वारा सरकारी प्रकाशनों तथा पत्रिकाओं की बिक्री 6000/-रु. सालाना से कम की जाती है तो छूट की दर स्वत: कम होकर 15 प्रतिशत हो जाएगी| यदि विभाग चाहे तो आपको सभी प्रकाशनों की बिक्री का अर्द्घवार्षिक लेखा जमा कराना होगा|

iii) आप पुस्तकों के मूल्य की अग्रिम राशि नकद जमा करवाकर अथवा विभाग में अपने नाम से कम से कम 1000/-रु. का समायोज्य खाता खुलवाने के बाद विभाग के मुख्यालय से मांग पर पुस्तकें प्राप्त करेंगे|

iv) कि आप प्रकाशन नियंत्रक द्वारा मुद्रित कीमत के अलावा किसी अन्य कीमत पर सरकारी प्रकाशनों तथा पत्रिकाओं की बिक्री नहीं करेंगें न ही उसकी अनुमति देंगे|

v) कि आप खरीदे गए सरकारी प्रकाशनों तथा पत्रिकाओं पर मुद्रित कीमत से अधिक प्रभार लेने के पात्र नहीं होंगे| यह मांगकर्त्ताओं तक प्रकाशन का पहुँचाने के लिए आपके द्वारा लिए जाने वाले डाक/भाड़ा दरों इत्यादि पर लागू नहीं है|

vi) प्रकाशनों तथा पत्रिकाओं की दोषपूर्ण/कटी-फटी प्रतियां तभी वापिस ली जाएगी यदि उनके दोष पूर्ण होने कटे-फटे होने का उल्लेख किया जाएगा तथा प्रकाशनों तथा पत्रिकाओं को उनकी प्राप्ति के 10 नि के भीतर इस विभाग में वापिस कर दिया जाएगा|

vii) करार की अवधि के दौरान बिना बिकी प्रतियां विभाग द्वारा वापिस ली जाएगी बशर्ते कि उन्हें प्रकाशनों को प्राप्त करने की तारीख से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर ठीक हालत में लौटाया जाए|

viii) यद्यपि प्रकाशन नियंत्रक को यह विकल्प होगा कि वह करार पत्र के अधीन प्रतिबन्धित ऐजेन्सी करार को किसी भी समय 15 दिन के लिखित नोटिस पर बिना कोई कारण बताए रद्द कर दें| इसलिए यह प्रावधान है कि यदि प्रकाशन नियंत्रक यह निर्णय लेता है कि आप एतदधीन अपना दायित्व विश्वसनीय तथा विधिवत ढंग से पूरा करने में असफल रहते है अथवा किसी भी शर्त की वचनबद्घता को भंग करते है तो नियंत्रक को यह अधिकार होगा कि वह तत्काल प्रभाव से इस बारे में लिखित सूचना देकर प्रतिबन्धित एजेन्सी करार को रद्द कर सकते है।

ix) यदि प्रकाशन नियंत्रक इस बात से संतुष्ट है कि 2 वर्ष की सम्पूर्ण अवधि के दौरान आपने अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह किया है तो नियंत्रक आपको नियमित आधार पर ऐजेन्ट नियुक्त कर सकते है जिसके लिए आपको निर्धारित प्रपत्र में भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में औपचारिक अनुबंध निष्पादित करना होगा|

x) आपको 2 वर्ष के प्रतिबन्धित ऐजेन्सी करार को बढ़ाने अथवा इसके निबंधन और शर्तो में अथवा पूर्ववर्ती पैरा IX में नियमित आधार पर ऐजेन्ट नियुक्त करने के बारे में तब तक कोई छूट नहीं दी जाएगी जब तक प्रकाशन नियंत्रक अपने निर्णय में इसे निर्धारित नहीं करते| आपको किसी भी परिस्थिति में अथवा अन्यथा रूप से सरकार के तहत कर्मचारी के रूप में माना नहीं जाएगा|

प्रकाशन नियंत्रक
भारत के राष्ट्रपति के लिए और
उनकी ओर से